भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/222

विवि.धारिता.आरईसी.सं.141/16.13.100/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय – I - प्रारंभिक....3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ....3

बी. प्रयोज्यता....3

सी. परिभाषाएँ....3

अध्याय – II - अधिग्रहण हेतु पूर्व अनुमोदन....7

ए. उपयुक्त एवं उचित मानदंड....7

बी . पूर्व अनुमोदन के लिए प्रक्रिया....8

अध्याय – III - निरंतर निगरानी की व्यवस्था....10

ए. समुचित सावधानी....10

बी. बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना....11

सी. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं....12

अध्याय IV- निरसन और अन्य प्रावधान....13

ए. निरसन और व्यावृत्ति....13

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं....13

सी. व्याख्याएं....13

फ़ार्म ए1....15

फॉर्म ए2 16
अनुबंध-I 18
ए. बैंकिंग कंपनी में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन 18
बी. निरंतर निगरानी के लिए जानकारी प्रदान करना 19
सी. शेयरधारिता पर सीमाएं 19
डी. लॉक-इन आवश्यकताएं 21
ई. मताधिकारों की अधिकतम सीमा 21
फार्म ए 23
फार्म बी 30

परिचय

ये निदेश यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जारी किए गए हैं कि बैंकिंग कंपनियों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह से विविधीकृत है और बैंकिंग कंपनियों के प्रमुख शेयरधारक निरंतर आधार पर 'उपयुक्त एवं उचित ' हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12, 12बी तथा 35ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश' के साथ पढ़ा जाएँ (इसके बाद 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

अध्याय – I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक- बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश स्थानीय क्षेत्र बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंकिंग कंपनियां अथवा बैंक/कों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंकिंग कंपनी अथवा बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे ।

सी. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में, यदि किसी स्थिति में यह आवश्यक है, प्रयोग किए गए शब्द नीचे दिए गए अर्थों को व्यक्त करेंगे, और उनके सजातीय शब्दों और भिन्नताओं को तदनुसार माना जाएगा:-

   (1)'अधिग्रहण' का अर्थ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बैंकिंग कंपनी में शेयर या मताधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना/ या प्राप्त करने पर सहमत होना;

   स्पष्टीकरण (i) 'शेयर' में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(1) (ii) में उल्लिखित इक्विटी शेयर और अधिमान्य शेयर शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण (ii) इस दिशा में "अप्रत्यक्ष" शब्द के उपयोग में कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 के नियम 2 (एच) के स्पष्टीकरण III में दिए गए अर्थ को शामिल किया जाएगा।

(2) "समग्र धारिता" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों, सहयोगी उद्यमों और उसके साथ मिलकर काम करनेवाले व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभदायक या अन्यथा, बैंकिंग कंपनी में शेयरों या मताधिकारों का समग्र धारण ।

इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति (प्राकृतिक या कानूनी) द्वारा शेयरों या मताधिकारों के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित प्रकार का अधिग्रहण शामिल हो सकता है:

(i) कोई निगमित निकाय उसी प्रबंधन या नियंत्रण या स्वामी के अधीन हो जिससे वह व्यक्ति और उसके निदेशक संबंधित हैं;
   स्पष्टीकरण: उदाहरण के तौर पर, एक या एक से अधिक अन्य संस्थाओं से जुड़ी संस्थाएं क्योंकि उन सभी के पास एक ही शेयरधारक संरचना है, बिना किसी नियंत्रित शेयरधारक के या क्योंकि वे एकीकृत आधार पर प्रबंधित हैं।

(ii) व्यक्ति के निदेशक और व्यक्ति के प्रबंधन के साथ जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति;

(iii) व्यक्ति का प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह;
   स्पष्टीकरण: इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, किसी बैंकिंग कंपनी के प्रवर्तक समूह को मान्यता देने के लिए मान्यता मानदंड व्यक्ति के प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह को मान्यता देने के लिए लागू होंगे।

(iv) म्यूचुअल फंड, उसके प्रायोजक, न्यास, न्यासी कंपनी और आस्ति प्रबंधन कंपनी;

(v) सामूहिक निवेश योजना और उसकी सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनी, न्यासी और व्यक्ति की न्यासी कंपनी;

(vi) उद्यम पूंजी निधि, उसके प्रायोजक, न्यासी, न्यासी कंपनी और आस्ति प्रबंधन कंपनी;

(vii) वैकल्पिक निवेश कोष, उसके प्रायोजक, न्यासी, न्यासी कंपनी और प्रबंधक के माध्यम से अधिग्रहण;

(viii) पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसके ग्राहक;

(ix) कोई भी व्यक्ति जो एक या अधिक निवेशकों के निधि का प्रबंधन करता है और उनकी ओर से मताधिकार का प्रयोग करता है या बैंकिंग कंपनी में मताधिकार के प्रयोग के तरीके को निर्देशित करता है।

स्पष्टीकरण: इसमें प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इसके जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर या एक या अधिक व्यक्तियों के निधि के प्रबंधन का समान कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होगा।

(x) उस व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति;

स्पष्टीकरण: नियंत्रण जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) में परिभाषित - नियंत्रण के अंतर्गत बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या ऐसे नीति विनिश्चयों का नियंत्रण करने का एस अधिकार भी होगा, जो वैयक्तिक या सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उनके शेयर धारण या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारक करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, प्रयोक्तव्य है

(xi) मतदान के तरीके पर किसी विशिष्ट आदेश के बिना प्रॉक्सी मतदाता17 (कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और पंजीकृत सदस्यों के रिश्तेदारों के अलावा) ।

स्पष्टीकरण: इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रॉक्सी सलाहकार शामिल होंगे जिनके पास मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(3) ‘आवेदक’ का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति है;

(4) ‘ऋण-भार’ का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 में निर्धारित किया गया है;

(5) ‘प्रमुख शेयरधारिता’ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग कंपनी में चुकता शेयर पूंजी या मताधिकार का पांच प्रतिशत या उससे अधिक की "समग्र धारण"

स्पष्टीकरण: शेयरधारिता की गणना यह मानकर की जाएगी कि व्यक्ति को जारी किए गए/जारी किए जाने वाले सभी लिखतों (संपरिवर्तनीय लिखतों सहित) को शेयरों (लागू मताधिकार के साथ) में संपरिवर्तित कर दिया गया है और उन्हें बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी या कुल मताधिकार में शामिल माना गया है।

(6) ‘व्यक्ति’ का अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति या एक वैध व्यक्ति;

(7) 'रिश्तेदार' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और उसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है; और

(8) 'महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी' का वही अर्थ है जो कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 में कहा गया है।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्धारित किया गया है।

अध्याय – II - अधिग्रहण हेतु पूर्व अनुमोदन

ए. उपयुक्त एवं उचित मानदंड

6. बैंकिंग कंपनी प्रमुख शेयरधारकों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'उपयुक्त एवं उचित मानदंड स्थापित करेगी, जिसमें न्यूनतम, यथा उल्लिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

स्पष्टीकरण: आवेदकों/प्रमुख शेयरधारकों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उदाहरणात्मक मानदंडों में न्यूनतम निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) बैंकिंग कंपनी में पांच प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु **10** प्रतिशत से कम के अधिग्रहण के लिए:

(i) वित्तीय/गैर-वित्तीय मामलों और कर कानूनों के अनुपालन में सत्यनिष्ठा में प्रतिष्ठा और ट्रैक रिकॉर्ड,

(ii) गंभीर प्रकृति की कोई कार्यवाही, या ऐसी किसी आसन्न कार्यवाही या किसी भी जाँच के बारे में सूचित किया गया है जिससे ऐसी कार्यवाही हो सकती है,

(iii) बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी कानून के तहत अपराध के लिए सजा के परिणामस्वरूप पिछले व्यावसायिक आचरण और गतिविधियों का रिकॉर्ड या साक्ष्य,

(iv) संबंधित विनियामक, राजस्व प्राधिकारियों, जाँच एजेंसियों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ, जैसा उचित समझा जाए, किए गए समुचित सावधानी के परिणाम

(v) गंभीर वित्तीय कदाचार, वित्तीय दायित्वों पर चूक सहित या आवेदक को दिवालिया घोषित किया गया था या नहीं,

(vi) अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत की विश्वसनीयता,

(vii) जहां आवेदक निगमित निकाय है, वहां अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय मजबूती और सत्यनिष्ठा के मानकों के अनुरूप संचालन का ट्रैक रिकॉर्ड या प्रतिष्ठा, साथ ही, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है निगमित निकाय से संबद्ध व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं का मूल्यांकन।

(viii) बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण और धारण पर 'दिशानिर्देशों' का पालन।

(2) बैंकिंग कंपनी में 10 प्रतिशत या अधिक के अधिग्रहण के लिए:

(i) उपरोक्त (1) में निर्धारित सभी पहलू।

(ii) यदि आवेदक किसी समूह से संबंधित है, तो समूह संस्थाओं का विवरण।

(iii) बैंकिंग कंपनी के लिए निरंतर वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में अधिग्रहण के लिए निधि का स्रोत और स्थिरता और वित्तीय बाजारों तक पहुंचने की क्षमता।

(iv) आवेदक का व्यावसायिक रिकॉर्ड और अनुभव, जिसमें व्यवसाय अधिग्रहण का कोई भी अनुभव शामिल है।

(v) आवेदक की कॉर्पोरेट संरचना किस हद तक बैंकिंग कंपनी के प्रभावी पर्यवेक्षण और विनियमन के अनुरूप होगी।

(vi) बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय के भविष्य के संचालन और विकास के लिए आवेदक की योजनाओं की सुदृढ़ता और व्यवहार्यता।

(vii) शेयरधारक करार और बैंकिंग कंपनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन पर उनका प्रभाव।

बी . पूर्व अनुमोदन के लिए प्रक्रिया

7. कोई भी व्यक्ति जो अधिग्रहण करने का इरादा रखता है जिसके परिणामस्वरूप किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारिता होने की संभावना है, उसे रिज़र्व बैंक में प्रवाह के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करके रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

8. आवेदक से आवेदन और घोषणा प्राप्त होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में बैंकिंग कंपनी से टिप्पणियां मांग सकता है।

9. रिज़र्व बैंक से संदर्भ प्राप्त होने पर, विचार किए जानेवाले पहलुओं की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह किए बिना, बैंकिंग कंपनी का निदेशक मंडल (बोर्ड), प्रदान की गई जानकारी के साथ-साथ बैंकिंग कंपनी द्वारा किए गए समुचित सावधानी के आधार पर, प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार-विमर्श करेगा और व्यक्ति की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का आकलन करेगा।

10. रिज़र्व बैंक से संदर्भ प्राप्त होने पर, संबन्धित बैंकिंग कंपनी सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद इन निदेशों में निर्दिष्ट **फार्म ए1** में संबन्धित बोर्ड संकल्प की एक प्रति और सूचना के साथ अपनी टिप्पणी 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी।

11. रिज़र्व बैंक आवेदक की ' उपयुक्त एवं उचित ' स्थिति का आकलन करने के लिए उचित जांच-पड़ताल करेगा।

12. (i) अनुमति देने या अस्वीकार करने या (ii) आवेदन की तुलना में कम मात्रा में समग्र धारिता के अधिग्रहण के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी रिज़र्व बैंक का निर्णय आवेदक या संबंधित बैंकिंग कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा।

13. रिज़र्व बैंक अनुमति प्रदान करते समय आवेदक और संबंधित बैंकिंग कंपनी पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जो उचित समझी जाएं।

14. इस तरह के अधिग्रहण के फलस्वरूप, यदि किसी भी समग्र धारण पाँच प्रतिशत से कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को रिज़र्व बैंक से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी यदि वह व्यक्ति बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी या कुल मताधिकारों के पाँच प्रतिशत या उससे अधिक तक समग्र धारिता को फिर से बढ़ाने का इरादा रखता है (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (1) के अनुसार)।

15. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों को किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारिता हासिल करने की अनुमति नहीं होगी।

स्पष्टीकरण (1) एफएटीएफ के गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों में कॉल फॉर एक्शन के अधीन उच्च-जोखिम क्षेत्र और वर्धित निगरानी के तहत अधिकार क्षेत्र शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण (2) अनुच्छेद 15 के प्रतिबंध उन विभिन्न क्षेत्राधिकारों पर भी लागू होंगे जिनके माध्यम से निवेश के लिए धन भेजा जाता है।

16. ऐसे एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों के मौजूदा प्रमुख शेयरधारकों को अपने निवेश को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई और अधिग्रहण न हो। तथापि, रिज़र्व बैंक किसी भी समय शेयर रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार कर सकता है और कानून और लागू नियमों के अनुसार उनके अनुमेय मतदान अधिकारों पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

अध्याय – III - निरंतर निगरानी की व्यवस्था

ए. समुचित सावधानी

17. बैंकिंग कंपनी लगातार निगरानी करेगी कि निम्नलिखित व्यक्ति निरंतर आधार पर ' उपयुक्त एवं उचित ' हैं:

(1) इसके प्रमुख शेयरधारक, जिनमें प्रमुख शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल हैं, जिन्होंने अनुमोदित अधिग्रहण पूरा कर लिया है

(2) वे आवेदक जिनके लिए संबंधित बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रमुख शेयरधारिता के अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को टिप्पणियां दी गई हैं; और

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (4) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति के लिए किसी भी वैधता अवधि के अधीन, वे आवेदक जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमुख शेयरधारिता के लिए अनुमोदित किया गया हैं, लेकिन अभी तक अनुमोदित अधिग्रहण पूरा नहीं किया हैं।

18. पैरा 17 में दी गई अपेक्षाओं के अतिरिक्त, एक बैंकिंग कंपनी:

(1) दिशानिर्देशों से सम्बद्ध फार्म ए में दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन या अन्य गतिविधि जो प्रमुख शेयरधारक/आवेदक की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं, इस बारे में निरंतर आधार पर जानकारी प्राप्त करने का तंत्र स्थापित करेगी;

(2) प्रमुख शेयरधारकों/आवेदकों के संबंध में किसी मामले/सूचना की जांच करना, जो ऐसे व्यक्तियों को प्रमुख शेयरधारक के रूप में बने रहने/भविष्य में बनने के लिए ' उपयुक्त एवं उचित ' स्थिति को प्रभावित करती हो, उनकी जांच करना और उस पर रिपोर्ट तुरंत रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना;

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर, प्रमुख शेयरधारक/आवेदक से दिशानिर्देशों के साथ संलग्न फॉर्म ए में प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव पर एक रिपोर्ट प्राप्त करना; और

(4) प्रदान की गई जानकारी और स्वयं की जांच के आलोक में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) की ' उपयुक्त एवं उचित ' स्थिति के बारे में आकलन करना और अपने प्रमुख शेयरधारकों/आवेदकों की 'उपयुक्त एवं उचित ' स्थिति के संबंध में अपने बोर्ड की टिप्पणियों को विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, को प्रति वर्ष 30 सितंबर से पहले अग्रेषित करना।

19. बैंकिंग कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रमुख शेयरधारक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सीमा तक अधिग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। सूचना प्राप्त करने

में, बैंकिंग कंपनी को दिशानिर्देशों के साथ संलग्न **फॉर्म ए** में मांगी गई सूचना द्वारा भी निर्देशित किया जाएगा।

20. इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर, संबंधित बैंकिंग कंपनी द्वारा क्या प्रमुख शेयरधारक 'उचित और उपयुक्त' है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरती जाएगी ।

21. बैंकिंग कंपनी ऐसे परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, बोर्ड नोट और प्रस्ताव के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

बी. बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना

22. प्रत्येक बैंकिंग कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक धारणीय निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रमुख शेयरधारक ने शेयरधारिता/ मताधिकारों के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (1) के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत रिज़र्व बैंक को दी जाएगी।

23. कोई भी प्रमुख शेयरधारक, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (3) के अंतर्गत आता है, और यदि उसने रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो वह प्रमुख शेयरधारिता के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए प्रमुख शेयरधारक में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो एक शेयर प्राप्त कर रहा हो या शेयरों पर लगाए गए प्रतिबंध का उपयोग कर मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी हो।

24. अधिग्रहण / समग्र धारिता चुकता शेयर पूंजी या बैंकिंग कंपनी के मताधिकारों के पांच प्रतिशत से कम होने के बाद भी, यदि बैंक के पास यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि शेयरधारक द्वारा अपनाई गई पद्धतियां सांविधिक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए हैं, तो बैंकिंग कंपनी द्वारा बोर्ड संकल्प और आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति के साथ एक संदर्भ रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

25. बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने बोर्ड को निरंतर निगरानी व्यवस्था पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंककारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (5) के अनुपालन का मूल्यांकन शामिल होगा।

सी. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

26. शेयरों को जारी करने और आवंटित करने के पश्चात, बैंकिंग कंपनी द्वारा आवंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने के 14 दिनों के भीतर इन निदेशों में विनिर्दिष्ट **फॉर्म ए2** में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बैंकिंग कंपनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए स्वीकृत सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाए।

स्पष्टीकरण: बैंकिंग कंपनी को विभिन्न शर्तों जैसे फेमा, 1999, सेबी विनियमन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों आदि के अधीन शेयर जारी करने की सामान्य अनुमति है।

27. बैंकिंग कंपनी द्वारा एक कार्य दिवस के भीतर पर्यवेक्षण विभाग को दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न **फॉर्म बी** में प्रवर्तक (प्रवर्तकों) और प्रवर्तक समूह द्वारा रिपोर्ट किए गए शेयरों के ऋण-भार पर विवरण भेजना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह का वही अर्थ है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (यूनिवर्सल बैंक – लाइसेंसिंग) दिशानिर्देश, 2025 में समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार है।

28. शेयरों पर लगाए गए ऋण-भार के संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और शेयरों पर लगाए गए ऋण-भार की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय IV- निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

29. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होने वाले अधिग्रहण और शेयर धारिता या मताधिकार से संबंधित पूर्व में जारी सभी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश रद्द किए जाते हैं, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

30. ऐसे निरस्तीकरण के बावजूद, किसी भी कार्रवाई जो की गई हो या कथित तौर पर किए जाने का दावा किया गया हो, या जो निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई हो, वह उन प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी। इन निरस्त की गई सूचियों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निदेशों के तहत शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा:

ए. उसके अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;

बी. उसके अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में होनेवाला कोई भी जुर्माना, जब्ती या दण्ड;

सी. उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड इस तरह से लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

31. इन निदेशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के पूरक होंगे और इनके प्रावधानों के विपरीत नहीं होंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

सी. व्याख्याएं

32. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आवश्यक समझा जाएँ, तो यह इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी

कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सेंटा जॉय)

मुख्य महाप्रबंधक

फ़ार्म ए1

'प्रमुख शेयरधारिता' पर बैंकिंग कंपनी की टिप्पणियां

1	बैंकिंग कंपनी का नाम	
2	सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा पर आवेदक का ट्रैक रिकॉर्ड	
3	प्रस्तावित अधिग्रहण पर बैंकिंग कंपनी की रिपोर्ट (बोर्ड द्वारा समीक्षा के आधार पर)	
4	अनिवासी निवेशकों के मामले में, फेमा 1999 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में बैंकिंग कंपनी की घोषणा	
5	क्या सूचीबद्ध किए गए आवेदक या व्यक्ति(यां)/ संस्थाएं, दिशानिर्देशों से जुड़े **फॉर्म ए** के क्रम संख्या 9 और 33 में गंभीर प्रकृति की किसी भी कार्यवाही के अधीन हैं या रह चुके हैं ।	
6	क्या सूचीबद्ध किए गए आवेदक या व्यक्ति(यां)/संस्थाएं दिशानिर्देशों से जुड़े **फॉर्म ए** के क्रमांक 9 और 33 में बैंकिंग कंपनी के उपयुक्त एवं उचित मानदंडों को पूरा करते हैं।	
7	क्या बोर्ड प्रस्तावित अधिग्रहण को अधिग्रहण या प्रबंधन को अस्थिर करने के प्रयास के रूप में मानता/संदेह करता है। अगर ऐसा है तो पूरा ब्योरा दिया जाए।	
8	बैंकिंग कंपनी में केवल मतदान अधिकार रखने वाले व्यक्ति(यों) का नाम (मतदान अधिकारों के प्रतिशत के साथ सूचीबद्ध किया जाना है)	

संलग्नक:

1. बैंकिंग कंपनी की रिपोर्ट
2. बोर्ड के संकल्प की प्रति

बैंकिंग कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म ए2

शेयर और समग्र धारिता राशि जारी करने का विवरण

बैंकिंग कंपनी का नाम:

1) शेयर निर्गम करने का विवरण

क्रम सं	निर्गम करने की तिथि	निर्गम का प्रकार	निर्गम का आकार				चुकता पूंजी	
			शेयरों के संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	प्रत्येक शेयर पर प्रीमियम	प्राप्त की गई राशि	निर्गम पूर्व	निर्गम पश्चात

2) शेयरों के निर्गम के बाद चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार के पांच प्रतिशत या उससे अधिक की समग्र जमाराशि का विवरण

क्रम सं	प्रमुख शेयरधारक का नाम	शेयरों को जारी करने से पहले चुकता शेयर पूंजी या कुल मतदान अधिकारों के प्रतिशत के रूप में प्रमुख शेयरधारक की समग्र धारिता	शेयरों के जारी होने के बाद चुकता शेयर पूंजी या कुल मतदान अधिकार के प्रतिशत के रूप में प्रमुख शेयरधारक की समग्र धारिता	प्रमुख शेयरधारिता के लिए आरबीआई के अनुमोदन की तारीख

व्याख्या : यदि चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत में प्रमुख शेयरधारक की धारिता बैंकिंग कंपनी के मतदान अधिकारों के प्रतिशत से भिन्न है, तो इसे अलग से इंगित किया जा सकता है।

संलग्नक:

1) बोर्ड/शेयरधारक संकल्प की प्रति

2) विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति

बैंकिंग कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

अनुबंध-I

बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों काअधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश

ए. बैंकिंग कंपनी में शेयरों अथवा मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B की उप-धारा (1) के अनुसार, हर वह व्यक्ति जो किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर या मताधिकार प्राप्त करने और मुख्य शेयरधारक बनने का इरादा रखता है, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

2. जो व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी का प्रमुख शेयरधारक बनने का इरादा रखता है, उसे प्रभाग (PRAVAAH) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को फ़ॉर्म ए में घोषणा के साथ आवेदन करना आवश्यक है।

3. रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदनकर्ता की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करने के लिए समुचित सावधानी बरती जाएगी। रिज़र्व बैंक आवेदक/ संबंधित बैंकिंग कंपनी से अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज मांगने और विनियामकों, राजस्व प्राधिकारियों, जांच एजेंसियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या किसी और व्यक्ति से उपयुक्त समझी जानेवाली जांच-पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B की उप-धारा (4) के अंतर्गत शर्तें निर्धारित की जा सकती है, जिसमें ऐसा अधिग्रहण पूरा करने की वैधता अवधि शामिल हो सकती है।

5. ऐसे अधिग्रहण के पश्चात, यदि किसी भी समय किसी व्यक्ति की समग्र धारिता पाँच प्रतिशत से कम हो जाती है, तो बी आर अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (1) के अनुसार, उस व्यक्ति को बैंकिंग कंपनी की कुल उपलब्ध शेयर पूँजी या मताधिकारों में हिस्सेदारी को पाँच प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ाने के लिए पुनः रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंकिंग कंपनी में उन शेयरों या मतदान अधिकारों को अर्जित करने का इरादा रखता है जो उस सीमा से अधिक हैं जिसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया गया था, उसे बैंकिंग कंपनी में अपनी कुल चुकता शेयर पूंजी या मताधिकार के पांच प्रतिशत या उससे अधिक की कुल धारिता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को रिज़र्व बैंक से फिर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

7. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की अनुपालन नहीं करने वाली क्षेत्राधिकारों के व्यक्ति बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारक बनने की अनुमति नहीं प्राप्त करेंगे।

व्याख्या (1) यह प्रतिबंध उन विभिन्न क्षेत्राधिकारों पर भी लागू होंगे जिनके माध्यम से निवेश के लिए धन भेजा जाता है।
व्याख्या (2) एफएटीएफ के गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों में कॉल फॉर एक्शन के अधीन उच्च-जोखिम क्षेत्र और वर्धित निगरानी के तहत अधिकार क्षेत्र शामिल होंगे।

8. हालांकि, ऐसे FATF अनुपालन न करने वाले क्षेत्राधिकारों से मौजूदा प्रमुख शेयरधारकों को उनके निवेश को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना कोई और अधिग्रहण न किया जाए। आरबीआई किसी भी समय ऐसे शेयरधारकों या मतदान अधिकार धारकों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति की समीक्षा कर सकता है और कानून के अनुसार उनके मतदान अधिकारों को सीमित करने के लिए कदम उठा सकता है।

बी. निरंतर निगरानी के लिए जानकारी प्रदान करना

9. बैंकिंग कंपनी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा, प्रमुख शेयरधारक जिन्होंने अनुमोदित अधिग्रहण पूरा कर लिया है या आवेदक जिन्होंने प्रमुख शेयरधारिता रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है या आवेदक जिन्होंने पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, वे फॉर्म ए में प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव या किसी अन्य मामले में जिसका 'उपयुक्त और उचित' स्थिति पर असर पड़ सकता है, के बारे में बैंकिंग कंपनी को सूचित करेंगे।

व्याख्या: इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, 'अनुमोदित' का अर्थ रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है।

सी. शेयरधारिता पर सीमाएं

10. किसी बैंकिंग कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगी:

(1) गैर- प्रवर्तक:

(i) प्राकृतिक व्यक्तियों, गैर-वित्तीय संस्थानों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़े वित्तीय संस्थान और ऐसे वित्तीय संस्थान जो व्यक्तियों (रिश्तेदारों और उनके साथ मिलकर काम करनेवाले व्यक्तियों सहित) के 50 प्रतिशत या उससे अधिक सीमा तक स्वामित्व मे हैं या नियंत्रण में हैं, के मामले में बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी या मताधिकार का 10 प्रतिशत, या;

व्याख्या: (ए) 'बड़े औद्योगिक घरानों' की परिभाषा के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (यूनिवर्सल बैंकिंग – लाइसेंसिंग) दिशानिर्देश, 2025 का संदर्भ लिया जा सकता है।

(बी) ऐसे वित्तीय संस्थानों (अर्थात, जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी व्यक्तियों के स्वामित्व में है या जो व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं) द्वारा बैंकों में शेयरधारिता को इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा हो रही शेयरधारिता माना जाएगा।

(ii) वित्तीय संस्थाओं (उपरोक्त पैराग्राफ 10(1)(i) में उल्लिखित संस्थाओं को छोड़कर), सुप्रा नेशनल संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों और केंद्रीय/राज्य सरकार के मामले में बैंकिंग कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों का 15 प्रतिशत।

(2) प्रवर्तक: बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय की शुरूआत के 15 वर्ष पूरे होने के बाद बैंकिंग कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों का 26 प्रतिशत।

11. 15 साल के पूरे होने से पहले की अवधि के दौरान, बैंकिंग कंपनी के प्रवर्तकों को लाइसेंसिंग शर्तों या बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेयरधारण विलयन योजना के हिस्से के रूप में, उचित समझे जानेवाली शर्तों के साथ, शेयरधारण के उच्च प्रतिशत धारण करने की अनुमति दी जाए।

व्याख्या: शेयरहोल्डिंग डिल्यूशन योजना का उद्देश्य विविध शेयरहोल्डिंग सुनिश्चित करना है। यह केवल प्रवर्तकों तक सीमित नहीं है बल्कि उन गैर- प्रवर्तकों को भी शामिल करता है जिनकी शेयरहोल्डिंग इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10(1) में निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

12. रिज़र्व बैंक मौजूदा प्रवर्तकों द्वारा त्याग, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सहित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप, बैंकों के पुनर्गठन/पुनर्रचना, मौजूदा प्रवर्तकों की छंटनी या बैंकिंग कंपनी और इसके जमाकर्ताओं के हित में या बैंकिंग क्षेत्र में समेकन आदि परिस्थितियों में मामला-दर-मामला आधार पर उच्च शेयरधारिता [उपरोक्त पैरा 10 में निर्धारित सीमाओं से अधिक] की अनुमति भी दे सकता है । इस तरह की उच्च शेयरधारिता की अनुमति देने के बाद, रिज़र्व बैंक उपयुक्त समझे जाने वाली शर्तें लगा सकता है (एक समय सीमा के भीतर ऐसी उच्च शेयरधारिता को कम करने सहित)।

13. विशिष्ट मामलों में, जहां राज्य सरकार/केंद्र सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/विशेष रूप से अनुमतित निवेशक बैंकिंग कंपनियों के प्रवर्तक हैं या कुछ विशेष परिस्थितियों, में विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तक / गैर-प्रवर्तक के रूप में उच्च शेयरधारण करने की अनुमति दी हैं, ऐसे धारिताओं के लिए रिज़र्व बैंक एक विभेदित शेयरधारिता विलयन योजना निर्धारित कर सकता है।

डी. लॉक-इन आवश्यकताएं

14. अगर रिज़र्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को बैंकिंग कंपनी की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से कम के शेयरधारण की अनुमति प्राप्त है, ऐसे शेयर अधिग्रहण पूरा होने की तारीख से प्रथम पाँच साल के किए लॉक-इन के अधीन रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बैंकिंग कंपनी की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयरधारण की अनुमति प्राप्त है तो अधिग्रहण पूरा होने की तारीख से प्रथम पाँच साल की अवधि के लिए केवल 40 प्रतिशत की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी लॉक-इन के अधीन रहेंगी।

व्याख्या: चुकता वोटिंग ईक्विटी शेयर पूंजी और कुछ नहीं है बल्कि ' चुकताईक्विटी शेयर पूंजी' है क्योंकि बी. आर. अधिनियम के अनुसार बैंकिंग कंपनियों में अधिमानीशेयर पूंजी को मतदान अधिकार नहीं है।

15. जो शेयर लॉक-इन के अधीन हैं, उन पर किसी भी परिस्थिति में ऋणभार नहीं डाला जाएगा। प्रवर्तक(ओं) और प्रवर्तक समूह को इन दिशानिर्देशों में दिए गए फार्म बी में निर्दिष्ट प्रारूप में बैंकिंग कंपनी को उन शेयरों पर ऋणभार का सृजन/ आह्वान/ विमोचन जारी करने का विवरण ऐसी घटना के दो कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट करना आवश्यक है जो लॉक-इन के तहत नहीं है।

16. लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी न्यूनतम शेयरधारिता की कोई आवश्यकता नहीं है।

ई. मताधिकारों की अधिकतम सीमा

17. बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 12 की उप-धारा (2) की प्रावधानों के अनुसार, राजपत्र अधिसूचना DBR.PSBD.No.1084/16.13.100/2016-17 दिनांक 21 जुलाई, 2016 के साथ पढ़ी जाए, तो किसी बैंकिंग कंपनी का कोई भी शेयरधारक मतदान में अपने अधिकारों का प्रयोग कंपनी के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं कर सकता।
व्याख्या: "कुल मतदान अधिकार" में बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी सभी शेयरों के खिलाफ मतदान अधिकार शामिल होंगे और यह उन 'प्रयोग योग्य' मतदान अधिकारों तक सीमित नहीं है जो एकल धारक द्वारा अधिकतम सीमा से परे होने पर काटे जाने के बाद मान्य होते हैं। अतः, प्रयोग योग्य मतदान अधिकारों का प्रतिशत उस कुल संख्या के संबंधित होना चाहिए जिन पर मतदान अधिकार हैं, मान लें कि कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

18. एक डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) धारक की ओर से केवल उन मामलों में मताधिकारों का प्रयोग कर सकता है जहां यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि डीआर धारक की ओर से उनकी धारिता बैं.वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी के अनुरूप है, और डीआर धारक से मतदान

निर्देशों के अनुसार मतदान अधिकार का प्रयोग करता है। निक्षेपागार करारों में परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

19. शेयरों से जुड़े लाभकारी हित रखने वाले व्यक्ति के मामले में, मताधिकारों का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि समग्र धारिता बैं.वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी के अनुरूप है।

व्याख्या: लाभकारी हित का वही अर्थ है जो कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 89 और इसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित है।

20. कोई व्यक्ति केवल उन मामलों में पंजीकृत शेयरधारकों की ओर से मतदान करने का अधिकार प्रयोग कर सकता है जहाँ यह साबित किया जा सके कि उनके समग्र मतदान अधिकार बी आर अधिनियम, 1949 के सेक्शन 12B के अनुरूप हैं।

21. कोई भी प्रमुख शेयरधारक(इसमें शेयरों के ऋणभार के आह्वान से जुड़े मामलों में शेयरों का अधिग्रहण या मताधिकार का उपयोग करना शामिल है) जो बैं.वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12बी की उप-धारा (3) के तहत शामिल है और रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं किया है, वह प्रमुख शेयरधारिता के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

फार्म ए

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा

बैंकिंग कंपनी का नाम जिसमें अधिग्रहण की मांग की गई है :

क्रम सं.	घोषणा की प्रकृति	घोषणा/टिप्पणियाँ
1	आवेदक का नाम (पिछले नामों सहित, यदि कोई हो)	
2	आवेदक का प्रवर्तक, यदि कोई हो	
3	आवेदक का वर्तमान और स्थायी पता	
4	आवेदक का महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी (एसबीओ)	
5	नागरिकता और निवास की स्थिति [किसी व्यक्ति के मामले में; किसी इकाई के मामले में स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (फेमा के अनुसार)]।	
6	आवेदक (व्यक्तिगत) का व्यवसाय/आवेदक की श्रेणी सहित संस्था के व्यवसाय की प्रकृति अर्थात वित्तीय संस्थान / गैर-वित्तीय संस्थान / सुप्रा नेशनल संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/सरकार	
7	यदि आवेदक एक संस्था है, तो आवेदक में एक प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारक/मताधिकार रखने वाले व्यक्तियों की सूची	
8	आवेदक द्वारा "प्रस्तावित अधिग्रहण" और बैंकिंग कंपनी में "मौजूदा समग्र धारिता" का विवरण (शेयरधारक का नाम, शेयरों की संख्या, चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत और मताधिकारों का प्रतिशत)।	
9	ए) आवेदक के 'रिशतेदारों' की सूची बी) आवेदक के साथ " मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों" की सूची सी) आवेदक के "सहयोगी उद्यमों" की सूची उनके नाम के साथ, बैंकिंग कंपनी में कुल चुकता शेयर पूंजी या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशत में शेयरधारिता / मताधिकार (यदि कोई हो)	
10	उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध आवेदक और व्यक्तियों का विवरण-जन्म तिथि /निगमन, पंजीकृत कार्यालय का पता, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, पैन संख्या, टैन संख्या, सी. आई. एन./डी. आई. एन. संख्या, आयकर सर्कल, नियामक का नाम, पंजीकरण का प्रकार,	

	बैंक, शाखा और खाता संख्या (क्रेडिट सुविधाओं और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं सहित), निवल मूल्य, कुल आस्तियां, क्रेडिट रेटिंग/क्रेडिट स्कोर। (एक अलग अनुबंध में दिया जा सकता है)	
11	बैंकिंग कंपनी में समग्र धारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए धन का स्रोत (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
12	पिछले पाँच वर्षों में आवेदक की कुल निवल मूल्य, आस्ति, लाभप्रदता और औसत आय (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)।	
13	अनुबंध / शेयरधारक अनुबंध का सारांश (समझोते की एक प्रति के साथ अनुबंध में दिया जा सकता है)	
14	क्या आवेदक अथवा उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है?	
15	यदि आवेदक, या उक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी पेशेवर संघ /निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई है, लंबित या शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अतीत में सज़ा हुई है अथवा उसे किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश/निरंतर रहने से प्रतिबंधित किया गया है।	
16	क्या आवेदक अथवा उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित किसी भी जांच के अधीन है? (यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें बाद में पूर्ण रूप से उलट दिया गया/पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया हो, उसी प्रकार यदि उलटना/रद्द करना तकनीकी कारणों जैसे कि सीमा अथवा क्षेत्राधिकार की कमी आदि पर है, न कि योग्यता के आधार पर, तो उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और अपीलीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
17	किसी कानून, नियमों और/अथवा विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा अभियोजन, लंबित अथवा शुरू या अतीत में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी प्राधिकरण/विनियामक की प्रतिकूल सूचना का विवरण, यदि कोई हो तो ।	

18	अनिवासी निवेशकों के मामले में, क्या प्रस्तावित अधिग्रहण/निवेश फेमा, 1999 के प्रासांगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुपालन में है?	
19	क्या आवेदक अथवा उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों को बेईमानी, अक्षमता अथवा कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?	
20	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण/मौजूदा होल्डिंग (यदि लागू हो) में किसी अन्य व्यक्ति का लाभकारी हित है?	
21	बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में आवेदक, उसके रिश्तेदारों, कार्य करने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता/मताधिकार/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड का विवरण।	
22	यदि आवेदक या उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध किए गए व्यक्तियों/संस्थाएं एक विनियमित इकाई है, तो भारत और विदेश में उनके विनियामकों के नाम और पते।	
23	क्या आवेदक या उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं/सुप्रा नेशनल स्थाएँ/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आदि एक वित्तीय संस्थान है?	
24	क्या आवेदक या उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो शेयर बाज़ार और सार्वजनिक शेयरधारिता की सीमा का उल्लेख करें?	
25	आवेदक के पिछले तीन वर्षों का आयकर विवरण और वित्तीय विवरण (संलग्न करें)।	
26	आवेदक या उपरोक्त क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध व्यक्तियो/संस्थाओं की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का आकलन करने के लिए प्रासांगिक मानी जाने वाली उपर्युक्त मदों के बारे में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी।	
27	क्या आवेदक बैंकिंग कंपनी में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करना चाहता है?	
28	वह समयावधि जिसके दौरान आवेदक बैंक में प्रस्तावित शेयरधारिता के अधिग्रहण को पूरा करना चाहता है ।	
29	बैंकिंग कंपनी में शेयरधारिता अथवा मताधिकार प्राप्त करने का उद्देश्य।	
30	जहाँ आवेदक और अंतिम हिताधिकारी स्वामियों के बीच दो से अधिक लेयरिंग (स्तर)	

	हैं? इस तरह के लेयरिंग के कारण।	
31	क्या प्रस्तावित निवेश एफएटीएफ गैर-अनुपालन अधिकार क्षेत्र से है या उसके माध्यम से हैं?	
बैंकिंग कंपनी में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की समग्र धारिता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों/व्यक्तियों/प्रमुख शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी		
32	पिछले पांच वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा जुटाई गई पूंजी का विवरण	
33	a) उन व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची जिनके पास आवेदक की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा है. b) हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) की सूची जहां आवेदक या उसके परिवार का सदस्य सदस्य है/कर्ता है बशर्ते, वे दिशानिर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता रखने के पात्र हों c) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उपरोक्त (ख) पर एचयूएफ के पास उस संस्था की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा है d) उन संस्थाओं की सूची जिनमें आवेदक के पास ऐसी संस्थाओं की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा है। e) संस्थाएं, यदि कोई हों, जिनमें आवेदक को हित रखने वाला माना जाता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]। f) ऐसी संस्थाएं जहां आवेदक के सामान्य शेयरधारक हैं, जिनके पास आवेदक की चुकता शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हिस्सा है और वे संस्थाएं भी हैं। g) आवेदक का संयुक्त उद्यम/सहयोगी (प्रासंगिक लेखा मानकों के अधीन परिभाषित) h) आवेदक की संबंधित पार्टियां (कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी एलओडीआर और प्रासंगिक लेखा मानक के तहत परिभाषित है) i) ऐसी संस्थाएं जिनमें आवेदक और उपरोक्त क्रम संख्या 9 और (ए) से (एच) तक सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा सामूहिक शेयरधारिता उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है j) ऐसी संस्थाएं जिनमें क्रम संख्या 9 और (ए) से (आई) तक सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं ने	

	पिछले पाँच वर्षों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहित रूप से अपनी शेयरधारिता का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्से का विनिवेश किया है	
34	उपरोक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के "अधिग्रहण" और "समग्र धारिता राशि" का विवरण (नाम, शेयरों की संख्या में शेयरधारिता और चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत और संबंधित बैंकिंग कंपनी मैं मताधिकार)।	
35	क्या आवेदक अथवा उपरोक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से किसी को किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया था?	
36	यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी किसी पेशेवर संघ/निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरन, यदि कोई हो तो, लंबित है अथवा प्रारंभ हुई है या जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध अतीत में दोषसिद्धि अथवा उन्हें किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश करने/जारी रखने से प्रतिबंधित किया गया है?	
37	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से कोई भी किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच की गई, अध्यधीन रही है? यदि हां, तो अद्यतन स्थिति का पूरा ब्योरा दें।	
38	किसी कानून, नियमों और/अथवा विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस या अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा अभियोजन, लंबित अथवा शुरू या अतीत में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी प्राधिकरण/विनियामक की प्रतिकूल सूचना केए विवरन, यदि कोई हो तो । (यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें बाद में पूर्ण रूप से उलट दिया गया/पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया हो, उसी प्रकार यदि उलटना/रद्द करना तकनीकी कारणों जैसे कि सीमा अथवा क्षेत्राधिकार की कमी आदि पर है, न कि योग्यता के आधार पर, तो उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और अपीलीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
39	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 33 में से किसी व्यक्ति/संस्था को जनता के साथ बेईमानी, अक्षमता अथवा कदाचार के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी	

	विधान के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?	
40	बैंकों और वित्तीय क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के बोर्डों पर आवेदक के प्रतिनिधित्व का विवरण	
41	क्या आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ा हुआ है?	
42	निगमन की तिथि, पैन/टैन संख्या, सी. आई. एन. संख्या, डी. आई. एन. संख्या, पंजीकृत कार्यालय का पता, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, आयकर सर्कल, विनियामक का नाम, पंजीकरण का प्रकार, यदि कोई हो, बैंक, शाखा और खाता संख्या (ऋण सुविधाओं और गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित), निवल मूल्य और उपरोक्त 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं का कुल सारणीकरण (पृथक अनुलग्नक में दिया जाएँ)	
43	उपरोक्त क्रम संख्या 33 में समूह की सूचीबद्ध प्रमुख संस्थाओं के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण (समूह की कुल आस्तियों का कम-से-कम 50 प्रतिशत)।	
44	आवेदक का व्यवसाय रिकॉर्ड और अनुभव जिसमे कंपनियों/व्यवसाय के अधिग्रहण का कोई अनुभव शामिल है ।	
45	उपरोक्त क्रम संख्या 33 में सूचीबद्ध संस्थाओं की "उपयुक्त और उचित " स्थिति का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली उक्त मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/ सूचना।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि उक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो उपरोक्त जानकारी से प्रासंगिक हैं, के बारे में बैंकिंग कंपनी को यथाशीघ्र सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचित करने का वचन देता/देती हूं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
आवेदक / आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान:
दिनांक :

फार्म बी

शेयरों के ऋण-भार का सृजन/आह्वान /विमोचन:

बैंकिंग कंपनी का नाम

रिपोर्टिंग की तारीख:

प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का नाम, जिसके शेयर भारग्रस्त हैं		
बैंकिंग कंपनी में प्रवर्तक /प्रवर्तक समूह की धारिता	शेयरों की संख्या	
	बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में	
बैंक में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह धारिताएं जो पहले से ही हैं भारग्रस्त है	शेयरों की संख्या	
	बैंकिंग कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में	
ऋण-भार सृजन / आह्वान / विमोचन की तिथि (जो लागू न हो उसे काट दें)		
ऋण-भार के सृजन का विवरण	भारग्रस्त शेयरों की संख्या	
	बैंक के कुल चुकता शेयर पूंजी का भारग्रस्त प्रतिशत	
	उस व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में शेयर भारग्रस्त हैं	
	उस व्यक्ति का नाम जिसके पास मताधिकार निहित हैं	
	धन जुटाने का उद्देश्य	
ऋण-भार को आह्वान करने का विवरण जैसे आह्वान करने वाले व्यक्ति का नाम, आह्वान करने के अधीन शेयर की संख्या आदि।		

सृजन/विमोचन/ आह्वान करने के घटना के बाद	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह द्वारा भारग्रस्त शेयरों की संख्या	
	बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह द्वारा भारग्रस्त प्रतिशत	

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान: